20
28/7/23

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

क्रमांक : संस्था–राज / 2023 / 9769 दिनांकः– 27 / 07 / 2023

श्रीमान् संयुक्त निदेशक,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
कलेक्ट्रेट परिसर, अजमेर।

विषयः– **यू.टी.बी. चिकित्सकों की भर्ती हेतु विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 9767 दिनांक 27.07.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि यू.टी.बी. चिकित्सकों की भर्ती हेतु इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 9767 दिनांक 27.07.2023 का प्रकाशन करवाया गया है। उक्त भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है जिसे अजमेर जिले की राजकीय विभागीय पोर्टल www.ajmer.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर।

क्रमांक : संस्था–राज / 2023 / दिनांकः– 27 / 07 / 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–अजमेर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
5. कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद (अजमेर)।
7. नोटिस बोर्ड इस कार्यालय।
8. नियंत्रण कक्ष, इस कार्यालय।

(डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर।

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नही।

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

क्रमांकः संस्था–राज / यूटीबी / 2023 / 9767

दिनांकः 27 / 07 / 2023

विज्ञप्ति

श्रीमान् शासन सयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प.14(1) चिस्वा / 2 / 2023 राजकाज–940 / पार्ट 4 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(1) चिस्वा / ग्रुप–2 / 2014 प.1(1) चिस्वा / ग्रुप–2 / 2014 दिनांक 04.10.2014 एवं समसंख्यक आदेश कमांक प.1(1) चिस्वा / ग्रुप–2 / 2014 पार्ट जयपुर दिनांक 09.11.2017 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं समय समय पर जारी विभागीय परिपत्रो अनुसार चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपयें 56000 / – प्रतिमाह पर भरने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। चिकित्सा अधिकारी के कुल 08 रिक्त पदों पर चयन अधिकतम एक वर्ष अथवा रिक्त पद पर नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानानुसार आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। इस हेतु दिनांक 01.08.2023 को सायंकाल 05.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ईच्छुक अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संकुल परिसर, जवाहर रंगमंच के पास, लोहागल रोड, अजमेर के पते पर रजिस्टर्ड / साधारण डाक / व्यक्तिशः जमा करवा सकते हैं एवं लिफाफे पर यू.टी.बी. चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु आवेदन आवश्यक रूप से अंकित करें।

इस हेतु इच्छुक अभ्यार्थी दिनांक 07.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला स्वास्थ्य समिति, अजमेर के सम्मुख वॉक इन्टरव्यू हेतु कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर मे समस्त वांछित मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे। उक्त पद में चयन हेतु प्रथमतः अजमेर जिले के निवासी को वरियता प्रदान की जायेगी।

नोटः– आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) की उक्त भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.ajmer.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

– Sd –

(डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर।

क्रमांकः संस्था–राज / यूटीबी / 2023 / 9767

दिनांकः 27 / 07 / 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् शासन सयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–अजमेर।
4. जिला कलक्टर, अजमेर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
6. कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद (अजमेर)।
8. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति अजमेर संस्करण में 8X10 से.मी. साईज में प्रकाशित करावें।
9. नोटिस बोर्ड इस कार्यालय।
10. नियंत्रण कक्ष, इस कार्यालय।

(डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

क्रमांकः संस्था–राज/यूटीबी/2023/ 9768 दिनांकः 27/07/2023

यूटीबी चिकित्सकों की भर्ती हेतु विस्तृत जानकारी

श्रीमान् शासन सयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.14(1) चिस्वा/2/2023 राजकाज–940/पार्ट 4 जयपुर दिनांक 13.07.2023 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(1) चिस्वा/ग्रुप–2/2014 प.1(1) चिस्वा/ग्रुप–2/2014 दिनांक 04.10.2014 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक प.1(1) चिस्वा/ग्रुप–2/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 09.11.2017 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं समय समय पर जारी विभागीय परिपत्रो अनुसार चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपयें 56000/– प्रतिमाह पर भरने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। चिकित्सा अधिकारी के कुल 08 रिक्त पदों पर चयन अधिकतम एक वर्ष अथवा रिक्त पद पर नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानानुसार आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। इस हेतु दिनांक 01.08.2023 को सायंकाल 05.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ईच्छुक अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संकुल परिसर, जवाहर रंगमंच के पास, लोहागल रोड, अजमेर के पते पर रजिस्टर्ड/साधारण डाक/व्यक्तिशः जमा करवा सकते हैं एवं लिफाफे पर यू.टी.बी. चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु आवेदन आवश्यक रूप से अंकित करें।

ईच्छुक अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपना नाम, पिता/पति का नाम मय स्वयं का स्थाई निवास का पता अंकित करें एवं शैक्षणिक/प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र, संबंधी जानकारी अंकित करते हुए समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायांप्रतियां संलग्न करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर, स्वास्थ्य संकुल परिसर, जवाहर रंगमंच के पास, लोहागल रोड, अजमेर के पते पर रजिस्टर्ड/साधारण डाक/व्यक्तिशः जमा करावें। लिफाफे पर यू.टी.बी. चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु आवेदन आवश्यक रूप से अंकित करें।

1. नियुक्त किये जाने वाले अभ्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस होगी तथा राजस्थान मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यार्थी की अधिकतम आयु 47 वर्ष एवं न्यूनतम 22 वर्ष होगी अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अध्ययधीन रहेगी।
3. अभ्यार्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. चयनित अभ्यार्थी कों राज्य सरकार में किसी प्रकार के नियोजन का अधिकार नही होगा ,और न ही किसी प्रकार की प्रशासनिक खामी/ज्यूडिशियल रिलीफ का अधिकारी होगा।
5. उक्त यू.टी.बी. आधार पर यह नियुक्ति/चयन अधिकतम 01 वर्ष अथवा रिक्त पद पर नियमित भर्ती से चिकित्सक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, तक ही लागू होगी।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)/डीओपी/ए–II/1995(10/ए3) दिनांक 08.04.2003 के अनुसरण में ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 02 से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
7. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना/दहेज नही लिए जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

8. अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा 10/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, तथा कार्यग्रहण के पश्चात 15 दिवस के अन्दर अन्दर पुलिस चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 4.10.2013 के अनुसरण में अभ्यार्थी द्वारा घूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने का वचनबन्ध (अंडर टेकिंग) दी जायेगी।
10. उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के नियुक्ति/यू.टी.बी. बाबत् विचाराधीन प्रकरणों के निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
11. आवश्यक अस्थाई आधार (यू.टी.बी.) पर एमबीबीएस/पीजी डिग्रीधारी चिकित्सकों को निर्धारित दर पर (नियत पारिश्रमिक 56000/–रू प्रति माह) दिया जायेगा।
12. चयन प्रक्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित करने पर अभ्यार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
13. चयनित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण के समय समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित मूल दस्तावेजों एवं जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास, आर्थिक पिछडा वर्ग से संबंधित समस्त दस्तवोजों सहित उपस्थित होना होगा।
14. चयनित अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित अथवा कूट–रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
15. उक्त विज्ञप्ति किसी भी स्तर पर निरस्त/स्थगित किये जाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

क्रं. सं.	पदनाम	स्पष्ट रिक्त पद	मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/पंजीयन
1.	चिकित्सा अधिकारी	08	56000/–	एमबीबीएस, राजस्थान मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण

नोटः– आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) की उक्त भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र हेतु www.ajmer.rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से अध्ययन करें।

(डॉ. अनुज कुमार पिंगोलिया)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर।

अजमेर जिले में चिकित्सा अधिकारी के यूटीबी पर चयन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर।

1. पद नाम :— यू.टी.बी. चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु आवेदन।
2. अभ्यार्थी का नाम :— हिन्दी में :—..
   अंग्रेजी में :— ....
3. पिता का नाम :— हिन्दी में :—..
   अंग्रेजी में :— ....
4. पति का नाम :— हिन्दी में :—..
   (विवाहित महिला अभ्यार्थी के लिये) अंग्रेजी में :— ....
5. जन्म तिथि :— ....
6. मूल निवास :—..
   ....
   (गृह जिले का नाम) प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. पूर्ण पता :— ....
   ....
8. मोबाईल नम्बर :— ....
9. सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण :— पूर्णांक ....
10. (अंकतालिका संलग्न करें) प्राप्तांक..........................
    प्रतिशत ....
11. सीनियर सै. परीक्षा उत्तीर्ण :— पूर्णांक ....
12. (अंकतालिका संलग्न करें) प्राप्तांक..........................
    प्रतिशत
13. एम.बी.बी.एस परीक्षा उत्तीर्ण :— पूर्णांक ....
    (अंकतालिका संलग्न करें)
    सभी वर्षो के प्राप्तांक..........................
    प्रतिशत..........................
14. विषय विशेषज्ञ योग्यता :— ....
    (यदि कोई हो तो दस्तावेज संलग्न करें)
15. आर.एम.सी. पंजीयन कमांक :— वैद्यता की तिथिः—
    प्रमाण पत्र संलग्न करें
16. जाति वर्ग (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :—
17. विधवा/तलाकशुदा/विकलांग/अन्य श्रेणी :—
    (दस्तावेज संलग्न करे)
18. इन्टरशिप कम्पलीशन सर्टिफिकेट एवं अटेम्प सर्टिफिकेट :—
19. अन्य कोई विवरण हो तो :— ....
20. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :— ....
    ....

नोटः विदेश से एमबीबीएस करने वाले अभ्यार्थियों को National Board of Examination in medical Sciences india से जारी Screening Test pass Certificate संलग्न करना अनिवार्य है एवं उसी के पूर्णांक एवं प्राप्तांक अंकित करे।

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर